

सहायक विधि अधिकारी (समूह 'ख') में उन्नयन हेतु विभागीय लिखित परीक्षा

Departmental Written Examination for Promotion to Assistant Law Officer
(Group 'B')

दिनांक 29.03.2019 Date 29.03.2019

समय Time : 03 (तीन three) घंटे hours

पूर्णांक Maximum Marks : 150

अनुदेश Instructions :

(ए) उत्तर पुस्तिका एवं अतिरिक्त शीटों में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, रोल नम्बर, हस्ताक्षर अथवा कोई ऐसा प्रतीक आदि न अंकित करें जिससे आपकी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से पहचान हो सके। इसका अनुपालन न करने पर उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।

(A) Do not write your name, Roll Number, Signature or leave any such mark which may directly/indirectly reveal your identity, anywhere inside the answer book & extra sheet(s), except on the sheet and the space provide for the purpose. Non-compliance of this will result in cancellation of candidature.

(बी) कृपया काली/नीली रंग की स्याही डॉट/स्याही पेन का प्रयोग करें बहुरंगी कलमों/स्कैच पेनों आदि का उपयोग करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

(B) Please use ink/dot pen (Black/Blue colour). Use of multicolor pens, sketch pens etc. may lead to cancelation of candidature.

(सी) कृपया अपने उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी में ही लिखें।

(C) Write your answers either in Hindi or in English.

(डी) अपनी उत्तर पुस्तकों तथा अतिरिक्त शीटों, यदि कोई हो, पर भी अनुवीक्षक प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर अवश्य करवा लें।

(D) Ensure signature of Invigilator or the Officer-in-charge, on the answer book as well as on extra sheet(s), if any

(ई) अपनी उत्तर पुस्तिका अनुवीक्षक को, परीक्षा समाप्त होने पर सुपुर्द कर दें।

(E) Please submit the answer book to the Invigilator only on completion of examination.

(एफ) अनुचित साधनों का उपयोग किये जाने पर उम्मीदवारी जब्त कर ली जायेगी।

(F) In case any unfair means are adopted, the candidature will be forfeited.

(जी) अगले प्रश्न का उत्तर आरम्भ करने से पूर्व, वर्तमान प्रश्न के सभी खण्डों/उपखण्डों के उत्तर दे दिये जायं अन्यथा किसी प्रश्न के उत्तर अन्य प्रश्नों या उनके खण्डों के उत्तरों में छितरा कर देने से उनका मूल्यांकन छूट सकता है।

(G) All parts/sub-parts of a question being attempted must be answered before attempting the next question otherwise parts of a question interspersed between parts/answer of other questions may not be evaluated.

(एच) वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न में किसी प्रकार के सुधार (जैसे काटना, ओवरराइटिंग, मिटाना, बहुविकल्पीय प्रश्नों में टिक किये गये उत्तर को मिटाकर दूसरा उत्तर टिक करना अथवा उत्तर में किसी प्रकार का बदलाव) अनुमन्य नहीं है। ऐसे प्रश्नों में यदि कोई सुधार किया जाता है तो उनका मूल्यांकन कदापि नहीं किया जायेगा।

(H) No correction of any type (i.e. Cutting, Overwriting, Erasing, Scoring off a ticked answer in multiple-choice question & ticking another answer and Modifying the answer in any way) in the answers to Objective Type questions (i.e. Multiple Choice Questions) is permissible. In case any correction is made, that answer shall not be evaluated at all.

(आई) अतिरिक्त शीटें, मुख्य उत्तर पुस्तिका के पूर्ण उपयोग के बाद ही ली जायं तथा उन्हें मुख्य उत्तर पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ के नीचे (या पीछे) संलग्न कर दिया जाय।

(I) Extra sheet(s) should be taken only after the main answer book is exhausted and should be attached after/below the last page of the main answer book.

(जे) यह प्रश्नपत्र द्विभाषी है। हिन्दी के किसी शब्द अथवा वाक्यांश की प्रयोज्यता के कारण प्रश्न के अर्थ में यदि किसी विरोधाभास का संदेह होता है तो अंग्रेजी संस्करण द्वारा निर्गत अर्थ ही प्रभावी होगा।

(J) This Question Paper is bi-lingual. If, due to usage of any word or phrase in Hindi, there appears any contradiction in the meaning of a question, the meaning depicted by English version shall prevail.

(के) उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों को एक आड़ी रेखा से काट दें।

(K) Any blank space in the answer book should be scored out by drawing a diagonal line.

(के) मोबाईल हैंड सेट तथा किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गजेट परीक्षा कक्ष में पास रखना सख्त निषेध है। इस प्रकार की कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

(K) Mobile hand set and any type of electronic gadgets are strictly prohibited. If such type of gadgets are found with the candidate during examination period, he shall be disqualified from examination.

(एल) किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दें, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

(L) Answer any five questions, all questions carry equal marks.

1 (a)	Answer any six question from the following and write the correct alternative in your answer book from the alternatives given against the respective question : निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए तथा सम्बन्धित प्रश्न के समक्ष दिये गये विकल्पों में सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए :	15
(i)	Second appeal under RTI Act 2005 is made with: (a) CIC (b) SIC (c) FAA (d) CIC or SIC, as the case may be सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत द्वितीय अपील दाखिल की जाती है— (a) मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष (b) राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष (c) प्रथम अपीलेट एथारिटी (एफ.ए.ए.) (d) मुख्य सूचना आयुक्त अथवा राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष, जैसी भी स्थिति हो	2½
(ii)	Appeal against decision of CIC/SIC normally lies with: (a) District Court (b) High Court (c) Supreme Court (d) Parliament of India मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के निर्णय के विरुद्ध अपील सामान्य रूप से की जाती है — (a) जिला न्यायालय के समक्ष (b) उच्च न्यायालय के समक्ष (c) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष (d) भारतीय संसद के समक्ष	2½
(iii)	The enquiry shall be completed and the enquiry report submitted to the Committee against sexual harassment within a period of : (a) 90 days (b) 120 days (c) 60 days (d) 30 days यौन शोषण के मामले में जांच पूरी करके जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी — (a) 90 दिनों में (b) 120 दिनों में (c) 60 दिनों में (d) 30 दिनों में	2½
(iv)	Corrections to rehabilitation and resettlement award can be done by the Collector not later than : (a) 30 days (b) 90 days (c) 180 days (d) 365 days. कलेक्टर द्वारा पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन एवार्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता है — (a) 30 दिनों के बाद (b) 90 दिनों के बाद (c) 180 दिनों के बाद (d) 365 दिनों के बाद	2½
(v)	The parties are free to determine the number of arbitrators provided that such number shall not be : (a) an even number (b) an odd number (c) any ration number (d) any number पक्षकार विवाचकों की संख्या निर्धारित करने को स्वतंत्र है बशर्ते कि संख्या (a) समसंख्यक न हो (b) विषम संख्यक न हो (c) कोई 'रेशन' संख्या (d) कोई संख्या	2½

(vi)	As per the Official Language Act numerals permitted for use in official correspondences are :	2½
	(a) Hindu Arabic (b) Devnagri (c) English (d) Roman	
	राजभाषा कानून के अनुसार सरकारी पत्राचार में प्रयोग होने वाले अंक हैं -	
	(a) हिन्दू अरेबिक (b) देवनागरी (c) अंग्रेजी (d) रोमन	
(vii)	As per Official Language Act, language for dealing cases in High Court & Supreme Court will be :	2½
	(a) Hindi (b) English (c) Local Vernacular language (d) All of these	
	राजभाषा कानून के अनुसार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में व्यवहार किये जाने की भाषा होगी :	
	(a) हिन्दी (b) अंग्रेजी (c) स्थानीय मातृभाषा (d) इनमें से सभी	
(viii)	Committee of Parliament on Official Language is constituted with total number of members from Paliament (Lok Sabha + Rajya Sabha) :	2½
	(a) 5 (b) 10 (c) 20 (d) 30	
	"कमिटी ऑफ पार्लियामेन्ट ऑन आफिसियल लैंग्वेज" के गठन में संसद (लोक सभा+राज्य) से सांसदों की संख्या है :	
	(a) 5 (b) 10 (c) 20 (d) 30	
1(b)	How the cases related to "Third Party Information" are to be dealt under RTI Act 2005?	15
	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत "तीसरे पक्ष की जानकारी" से संबंधित मामलों को कैसे व्यवहार (डील) किया जाना है?	
2	Briefly discuss any five of the following :	6 X 5 = 30
	(a) Determination of compensation of land acquisition.	
	(b) 'C' region under Official Language Act.	
	(c) Classification of services under HOER.	
	(d) Compassionate Appointment.	
	(e) Notice under section 80CPC.	
	(f) Recorded warning.	
	निम्नांकित में से किन्हीं पांच का संक्षेप वर्णन कीजिए -	
	(a) भूमि अधिग्रहण के क्षतिपूर्ति का निर्धारण	
	(b) 'ग' क्षेत्र के अन्तर्गत राजभाषा अधिनियम।	
	(c) कार्यकाल सेवा नियमन (HOER) के अन्तर्गत वर्गीकरण	
	(d) अप्रकम्पा के आधार पर नियुक्ति	
	(e) 80 सीपीसी के अन्तर्गत नोटिस	
	(f) रिकार्ड वर्निंग	
3	Answer the following :	2 X 15 = 30
	State the meaning of the following frequently used legal terms :	
	(i) suo-moto (vi) sub-judice (xi) ex-parte	
	(ii) per-se (vii) ad-idem (xii) vice-versa	
	(iii) inter-se (viii) ab-initio (xiii) de-jure	
	(iv) ad-hoc (ix) de-novo (xiv) ultra-virus	
	(v) ex-gratia (x) de-facto (xv) status quo	

(vi)	As per the Official Language Act numerals permitted for use in official correspondences are :	2½
	(a) Hindu Arabic (b) Devnagri (c) English (d) Roman	
	राजभाषा कानून के अनुसार सरकारी पत्राचार में प्रयोग होने वाले अंक हैं - (a) हिन्दू अरेबिक (b) देवनागरी (c) अंग्रेजी (d) रोमन	
(vii)	As per Official Language Act, language for dealing cases in High Court & Supreme Court will be :	2½
	(a) Hindi (b) English (c) Local Vernacular language (d) All of these	
	राजभाषा कानून के अनुसार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में व्यवहार किये जाने की भाषा होगी : (a) हिन्दी (b) अंग्रेजी (c) स्थानीय मातृभाषा (d) इनमें से सभी	
(viii)	Committee of Parliament on Official Language is constituted with total number of members from Paliament (Lok Sabha + Rajya Sabha) :	2½
	(a) 5 (b) 10 (c) 20 (d) 30	
	“कमिटी ऑफ़ पार्लियामेन्ट ऑन आफीसियल लैंग्वेज” के गठन में संसद (लोक सभा+राज्य) से सांसदों की संख्या है : (a) 5 (b) 10 (c) 20 (d) 30	
1(b)	How the cases related to “Third Party Information” are to be dealt under RTI Act 2005? सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत “तीसरे पक्ष की जानकारी” से संबंधित मामलों को कैसे व्यवहार (डील) किया जाना है?	15
2	Briefly discuss any five of the following : (a) Determination of compensation of land acquisition. (b) ‘C’ region under Official Language Act. (c) Classification of services under HOER. (d) Compassionate Appointment. (e) Notice under section 80CPC. (f) Recorded warning. निम्नांकित में से किन्हीं पांच का संक्षेप वर्णन कीजिए - (a) भूमि अधिग्रहण के क्षतिपूर्ति का निर्धारण (b) ‘ग’ क्षेत्र के अन्तर्गत राजभाषा अधिनियम। (c) कार्यकाल सेवा नियमन (HOER) के अन्तर्गत वर्गीकरण (d) अपूकम्पा के आधार पर नियुक्ति (e) 80 सीपीसी के अन्तर्गत नोटिस (f) रिकार्डेड वार्निंग	6 X 5 = 30
3	Answer the following : State the meaning of the following frequently used legal terms : (i) suo-moto (vi) sub-judice (xi) ex-parte (ii) per-se (vii) ad-idem (xii) vice-versa (iii) inter-se (viii) ab-initio (xiii) de-jure (iv) ad-hoc (ix) de-novo (xiv) ultra-virus (v) ex-gratia (x) de-facto (xv) status quo	2 X 15 = 30

निम्नांकित का उत्तर दीजिए -		
ज्यादातर प्रयोग होने वाले निम्नांकित वैधानिक कथनों का अर्थ बताइए -		
(i) सूओ-मै	(vi) सब-जूडिस	(xi) एक्स-पार्टे
(ii) पर-से	(vii) एड-आइडेम	(xii) वाइ-वर्सा
(iii) इण्टर-से	(viii) एब-इनीसिओ	(xiii) डे-पूरी
(iv) एड-हॉक	(ix) डी-नोवो	(xiv) अल्ट्रा-वाइरस
(v) एक्स-ग्रेसिआ	(x) डी-फैक्टो	(xv) स्टेटस-को
		6 X 5 = 30
4	Answer any five :	
	(a) under what circumstances does the mandate of an Abitrator terminate?	
	(b) What do you mean by "Dependants" under section 123(b) of Indian Railways Act, 1989?	
	(c) Who is a 'Railway Servant' as defined in para 103(43) of Indian Railway Establishment Code? Can casual labours be terminated as 'railway servant' within the meaning of above.	
	(d) What is a D&AR Inquiry? When does it become necessary?	
	(e) List out the circumstances under which compensation shall not be payable in case of death or injury suffered by a 'passenger' under section 124 of Indian Railway Act, 1989. What is the definition of 'passenger' under this section?	
	(f) What is Official Language Act?	
	किन्हीं पांच का उत्तर दीजिए :	
	(a) किन परिस्थितियों में एक विवाचक की समाप्ति अनिवार्य होती है?	
	(b) भारतीय रेलवे एक्ट, 1989 के खण्ड 123(बी) के अन्तर्गत "आश्रित" से आपका क्या अभिप्राय है?	
	(c) भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के अनुच्छेद 103(43) में किसे 'रेलवे सेवक' के रूप में किसे परिभाषित किया गया है?	
	(d) डी एण्ड ए आर इन्क्वायरी क्या है? यह कब आवश्यक हो जाती है?	
	(e) उन परिस्थितियों को बताइए, जिनके अन्तर्गत एक 'यात्री' के मृत्यु अथवा चोट की स्थिति में भारतीय रेलवे एक्ट, 1989 के खण्ड 124 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति देय नहीं है।	
	(f) राजभाषा कानून क्या है?	
5	Write short notes on any six of the following :	
	(a) Goods carried at owner's risk.	
	(b) Application of rule 14(II) for removal of a railway servant.	
	(c) Railway's liability in passenger train accidents.	
	(d) Jurisdiction of Railway Claims Tribunal.	
	(e) Leave not due.	
	(f) Mandamus.	
	(g) Certiorari.	
	निम्न में से किन्हीं छः पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :	
	(a) गुड्स कैरिड एट ओनर्स रिस्क	
	(b) रेल सेवक की सेवा समाप्ति हेतु नियम 14(II) को लागू करना।	
	(c) यात्री ट्रेन की दुर्घटना में रेलवे की देयता।	
	(d) रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल का अधिकार-क्षेत्र।	
	(e) 'लीव नाट ड्यू'	
	(f) 'मैन्डामस'	
	(g) 'सेरीटीयोररी'	
		5 X 6 = 30

as per English
Version

6	Write short note on any three : 10 X 3 = 30	
	(a) Right to equality under Constitution of India.	
	(b) Direct principles of State Policy under Constitution of India.	
	(c) Revision and Review under R.S.(D&A) Rules, 1968.	
	(d) Grounds for challenging Arbitration award.	
	किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :	
	(a) भारतीय संविधान के अन्तर्गत समानता का अधिकार।	
	(b) भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त।	
	(c) रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम 1968 के अन्तर्गत 'रिविजन' और 'रिव्यू'	
	(d) आर्बिट्रेशन एवार्ड को चुनौती दिये जाने के आधार।	
7	Explain any five of the following : 6 X 5 = 30	
	(a) Canons of financial propriety.	
	(b) Public account committee.	
	(c) Earnest money and Security deposit.	
	(d) Ex-gratia relief in Railway accident.	
	(e) PAC CAG	
	(f) Measures to improve operation ratio	
	(g) Principles of Natural Justice.	
	निम्न में से किन्हीं पांच की व्याख्या कीजिए -	
	(a) कैंन्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी	
	(b) पब्लिक एकाउन्ट कमेटी	
	(c) अर्नेस्ट मनी तथा सिक्यूरिटी डिपोजिट	
	(d) रेलवे दुर्घटना में 'एक्स ग्रेसिआ रिलीफ'	
	(e) पी.ए.सी.	
	(f) आपरेशन रेशिओ को सुधारने के उपाय	
	(g) नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त	
8	Suggest measures to minimize losing court cases under any five of the following Acts : 6 X 5 = 30	
	(a) Right to fair Compention Act, 2013	
	(b) Indian Contract Act	
	(c) Arbitration & Conciliation Act 1996	
	(d) R.S.(D&A) Rules, 1968.	
	(e) Indian Railway Act, 1989	
	(f) Consumer & Protection Act.	
	(g) Central Administrative Tribunal.	
	निम्नांकित में से किन्हीं पांच एक्ट के अन्तर्गत कोर्ट केस में हार को कम करने के लिए उपाय सुझाइए :	
	(a) राइट टू फेयर कम्पेन्शंसन एक्ट, 2013	
	(b) इण्डियन कन्ट्रैक्ट एक्ट	
	(c) आर्बिट्रेशन एण्ड कान्सिलिएशन एक्ट, 1996	
	(d) आर.एस.(डी एण्ड ए) रूल्स, 1968	
	(e) इण्डियन रेलवे एक्ट, 1989	
	(f) कन्ज्यूमर एण्ड प्रोक्टेसन एक्ट	
	(g) सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल	